"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2014— आश्विन 30, शक 1936

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2–7/2012/9.— छ.ग. शासन एतद्द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमी के संचालन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है –

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**
   I. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खेल अकादमी संचालन नियम 2014 होगा।
   II. ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्‌देश्य–**
   (1) इसका उद्‌देश्य खेल अकादमी के संचालन हेतु प्रक्रियाओं को विनियमित करना है।

3. **परिभाषाएं–** इस नियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

4. **खिलाड़ी का अकादमी में प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता की स्थिति :–**
   (1) खिलाड़ियों को अकादमी में प्रवेश देने हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा। –
   I. खिलाड़ी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो एवं 17 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो।
   II. ऐसे खिलाड़ी जिनकी आयु 13 वर्ष से कम या 17 वर्ष से अधिक है, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया हो, उन्हें अकादमी में प्रवेश देने हेतु विचार किया जा सकेगा। खिलाड़ी

के उम्दा प्रदर्शन के संबंध में अकादमी के प्रशिक्षक के अनुशंसा पर तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। समिति का गठन संचालक, खेल एवं युवा कल्याण कर सकेंगे।

III. मेडिकल फिटनेस :– खिलाड़ी चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाया जाना चाहिए।

IV. अकादमी में प्रत्येक खेल के लिये छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी खिलाड़ियों को प्रवेश देने हेतु संचालक खेल द्वारा संख्या निर्धारित की जाएगी। गैर छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा।

छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों में 20 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी अन्य राज्यों के हो सकते हैं, जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा पर प्रवेश देने हेतु विचार किया जाएगा।

(2) खिलाड़ियों का अकादमी मे प्रवेश के संबंध में अपात्रता का निर्धारण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा :

I. यदि खिलाड़ी द्वारा अपनी उपलब्धियाँ एवं उम्र आदि के संबंध में गलत जानकारी दी गई हो।

II. संचालनालय द्वारा निर्धारित समय अन्तराल में खिलाड़ी प्रवेश न लें।

III. ऐसा खिलाड़ी जिसे राज्य या देश की किसी अन्य खेल अकादमी में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अकादमी प्रवेश निरस्त किया गया हो वे खिलाड़ी भी अकादमी में प्रवेश के लिए अपात्र माने जायेंगे।

5. **चयन की प्रक्रिया :–**

I. चयन सूचना :– सामान्यतया प्रतिवर्ष अप्रैल से जून के मध्य चयन सूचना जारी किया जावेगा, संचालक, खेल चयन सूचना की तिथि परिर्वतन करने हेतु सक्षम होगें। आवश्यकता होने पर वित्तीय वर्ष में किसी भी तिथि में चयन सूचना जारी की जा सकेगी। उक्त सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी।

II. चयन के मानक :– चयन हेतु मानक तैयार किये जायेगें। उक्त मानक तैयार करने हेतु संचालक एक समिति का गठन कर सकेगें। जिसमें संबंधित खेल के विशेषज्ञ भी होगें। चयन मानक के आधार पर खिलाड़ियो का परीक्षण किया जायेगा एवं परीक्षण परिणामों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

III. आवेदन प्रारूप :– चयन में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन का निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ (अ) में संलग्न है।

6. **अकादमी में प्रशिक्षणार्थियों के प्रकार :–**

(1) अकादमी में दो प्रकार के प्रशिक्षणार्थी होंगे।

अ. छात्रावासी,

ब. गैर छात्रावासी।

(2) छात्रावासी खिलाड़ी वे होंगे, जिन्हें तकनीकी चयन प्रकिया के पश्चात् चिन्हित कर प्रशिक्षण हेतु खेल अकादमी में प्रवेश दिया गया हो, तथा अकादमी के छात्रावास में आवास, भोजन एवं शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हो।

(3) गैर छात्रावासी स्थानीय खिलाड़ी होंगे जिन्हें तकनीकी चयन प्रकिया के माध्यम से चिन्हित कर अकादमी में प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया हो लेकिन उन्हें आवास, भोजन, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

7. **अकादमी में सुविधाएँ :–**

(1) ऐसी सुविधा जो छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी दोनों प्रकार के खिलाड़ियों को उपलब्ध होंगे :–

I. बीमा :– खिलाड़ियों का चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा कराया जा सकेगा।

II. चिकित्सा व्यय :– खिलाड़ी के चिकित्सा बीमा के बावजूद भी यदि खिलाड़ी की चिकित्सा में कोई अतिरिक्त राशि व्यय होती है तो खिलाड़ी की चिकित्सा में उक्त राशि व्यय की जा सकेगी।

III. खेल सामग्री एवं उपकरणों का प्रदाय :– अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिएं आवश्यक खेल उपकरण एवं सहायक खेल उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे।

IV. खेल परिधान :– खिलाड़ियों को टी शर्टस् एवं नेकर तथा मोंजे (तीन–तीन ज़ोड़ी), जूते (दो जोड़ी–यदि खेल विशेष के लिए विशिष्ट जूते आवश्यक हो तो प्रदाय किए जाएंगे।), ट्रेकसूट (एक जोड़ी) उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त परिधान वर्ष में एक बार देय होंगे।

V. एकरूप परिधान :– खिलाड़ियों को खेल परिधान के अलावा एकरूप परिधान भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें एक पैंट, शर्ट, टाई, टोपी, ब्लेजर, मोजे, जूते सम्मिलित होंगे। ब्लेज़र तीन वर्ष में एक बार देय होगा। शेष परिधान वर्ष में एक बार देय होंगे।

VI. प्रतियोगिताओं के दौरान यात्रा व्यय :– अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु की गई यात्राओं का वास्तविक यात्रा व्यय तथा प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर वास्तविक रूप से की गई स्थानीय यात्रा का वास्तविक यात्रा व्यय देय होगा।

खिलाड़ियों को रेल्वे में ए.सी. तृतीय श्रेणी का वास्तविक किराया एवं यात्रा/प्रतियोगिता स्थल में ठहरने के दौरान यात्रा भत्ता के रूप में रू. 250/– प्रतिदिवस के मान से प्रदान किया जा सकेगा। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर डीलक्स बस या उच्चतम सुविधायुक्त बस का यात्रा व्यय प्रदान किया जा सकेगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर यदि आयोजकों द्वारा उचित आवास व्यवस्था न की गई हो तो खिलाड़ियों को राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष होटल में ठहरने का किराया भुगतान किया जा सकेगा। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल में ठहरने के दौरान यात्रा भत्ता तभी प्रदान किया जा सकेगा जबकि आयोजकों द्वारा निःशुल्क भोजन, आवास एवं यातायात की उचित सुविधा प्रदान नहीं की गई हो। उचित सुविधा के संबंध में वास्तविक तथ्यों के साथ दल प्रबंधक द्वारा औचित्य प्रमाणित किए जाने पर उक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

VII. प्रतियोगिता के दौरान स्वल्पाहार भत्ता :– प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को स्वल्पाहार भत्ता रू. 50/– प्रतिदिन के मान से देय होगा। खिलाड़ी या दल का मैच जिन तिथियों में आयोजित होगा उन्हीं तिथियों के लिए उक्त स्वल्पाहार भत्ता देय होगा।

VIII. विशिष्ट प्रशिक्षण/एडवांस कोचिंग :– अकादमी के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी कौशल, प्रतियोगिताओं में खेलने के अनुभव हेतु समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलम्पियन, विशिष्ट प्रशिक्षकों द्वारा एडवांस कोचिंग, कैम्प का आयोजन किया जा सकेगा।

(2) ऐसी सुविधा जो सिर्फ छात्रावासी खिलाड़ियों को उपलब्ध होगी :–

I. आवास :– सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

II. यात्रा व्यय :– अकादमी द्वारा घोषित छुट्टियों पर खिलाड़ियों को रेल्वे में ए.सी. तृतीय श्रेणी का किराया एवं रू. 150/– प्रतिदिन के मान से यात्रा भत्ता प्रदान किया जायेगा। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर डीलक्स बस या उच्चतम सुविधायुक्त बस का यात्रा व्यय प्रदान किया जाएगा।

III. भोजन :– छात्रावासी खिलाड़ियों को प्रतिदिन/प्रति खिलाड़ी आवश्यकतानुसार प्रतियोगिता के अनुरुप/मौसम के आधार पर 6000 से 7000 कैलोरी का संतुलित भोजन देय होगा।

IV. शैक्षणिक व्यय :– शैक्षणिक व्यय हेतु प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष उनका वास्तविक शिक्षण व्यय देय होगा। इसमें विद्यालय शुल्क/पुस्तकें/स्कूल परिधान सम्मिलित है। शैक्षणिक संस्था का निर्धारण समस्त छात्रावासी खिलाड़ियों के लिये अध्ययन एवं खेल अभ्यास को दृष्टिगत रखते हुये अकादमी संचालन समिति की अनुशंसा पर संचालक कर सकेंगे।

V. पालक/अभिभावकों को सुविधा :– पालक/अभिभावकों को खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके आवास स्थल से अकादमी स्थल तक आने एवं जाने हेतु वर्ष में एक बार रेलवे के ए.सी. तृतीय श्रेणी/बस का वास्तविक किराया देय होगा।

(3) ऐसी सुविधा जो सिर्फ गैर छात्रावासी खिलाड़ियों को उपलब्ध होगी :–

I. खेलवृति :– गैर छात्रावासी खिलाडियों को प्रथम वर्ष में रू. 750/–, द्वितीय वर्ष में रू. 850/–, तृतीय वर्ष में रू. 1000/– प्रतिमाह खेल वृत्ति के रूप में देय होगा।

8. प्रतियोगिता में भाग लेने के अनुभव की सुविधा–

अकादमी के खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेलने का अनुभव प्रदान करने हेतु, अकादमी में निम्नांकित आयोजन किए जा सकेंगे या अकादमी के खिलाड़ियों को अन्य खेल आयोजनों में भाग लेने हेतु भेजा जा सकेगा।

I. राज्य स्तर पर दलों को आमंत्रित कर अभ्यास मैच :– छात्रावासी/गैरछात्रावासी खिलाड़ियों के अभ्यास मैच के लिये राज्य के चुनिंदा दलों को आमंत्रित कर अभ्यास मैच अकादमी में आयोजित किया जा सकेगा। उक्त मैच आयोजित होने पर प्रतिभागी खिलाड़ियों का यात्रा व्यय एवं यात्रा भत्ता, आवास एवं भोजन की सुविधा अकादमी के खिलाड़ियों के समकक्ष उपलब्ध कराई जा सकेगी।

II. अन्य राज्यों में जाकर अभ्यास मैच :– छात्रावासी/गैरछात्रावासी खिलाड़ियों के अभ्यास मैच के लिये अन्य राज्यों के खेल अकादमियों या संबंधित खेल के दलों के साथ अभ्यास मैच खेलने हेतु संबंधित राज्यों में जाकर अभ्यास मैच की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

III. अखिल भारतीय टूर्नामेंट में भागीदारी :– अखिल भारतीय टूर्नामेंट में भागीदारी हेतु अकादमी के दल को भेजा जा सकेगा। इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने हेतु अकादमी के दल में अकादमी के खिलाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के अन्य क्षेत्रों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

9. अकादमी में प्रवेश हेतु अनुबंध एवं प्रवेश का नवीनीकरण :– अकादमी में खिलाड़ियों को सामान्यतया तीन वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा तथा इस हेतु खिलाड़ियों से अनुबंध निष्पादित किया जाएगा तथापि खिलाड़ियों के प्रवेश का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होगा। उक्त नवीनीकरण खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। खिलाडियों के प्रवेश के नवीनीकरण की अनुशंसा करने हेतु संचालक खेल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित खेल के विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे। अनुबंध का निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–ब में है।

10. अकादमी संचालन के नियम– अकादमी संचालन समिति की अनुशंसा पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण द्वारा छात्रावास संचालन एवं इस अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत उपनियम बनाये जा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट–(ब)

आवेदक के पिता/माता/अभिभावक द्वारा सत्यापित करने हेतु अनुबंध का प्रारूप

(रायपुर में गैर अदालती 50 रू. के स्टाम्प पेपर पर सत्यापित करने हेतु)

नाम ....
पिता/माता/अभिभावक ....
जन्मतिथि ....
निवास पता ....
....
जिला ....
अभ्यार्थी ....

नाम ....
पिता/माता/अभिभावक ....
आयु .... वर्ष
अभ्यार्थी से संबंध ....
निवास पता ....
जिला ....
(सत्यापनकर्ता/प्रतिभू/जमानतकर्ता)

हम उपरोक्त, नामांकित, अभ्यार्थी तथा प्रतिभू/जमानतदार, दिनांक //2013 को यह वचन देते हैं, कि अभ्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण अवधि में उल्लेखित नियम तथा शर्तो का उल्लंघन करने पर हम खेल एवं युवा कल्याण अकादमी छ.ग. शासन को एकमुश्त रू. 40,000/– अदा करने को बाध्य होगे। हमारा यह वचन हमारे स्थान पर अभ्यार्थी के प्रतिभू का स्थान ग्रहण करने वाले पर भी लागू होगा, और वह बिना किसी प्रश्नोत्तर के अदायगी को बाध्य होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1. अभ्यार्थी को समय– समय पर दिये जाने वाले आदशों का एवं सभी नियमों का पालन करना होगा।
2. प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष की होगी। चूँकि अकादमी के निर्णय पर अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
3. अभ्यार्थी को प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करना भी अनिवार्य होगा।
4. अभ्यार्थी को अच्छा व्यवहार रखना होगा। तथा प्रशिक्षक/अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होगा।
5. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर अभ्यार्थी को समस्त प्रदान किये गये सामानों का समर्पण करना होगा तथा संबंधित अधिकारी से समाशोधन पत्र प्राप्त करना होगा।
6. अभ्यार्थी को सावधानी रखते हुए पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिससे अकादमी के उपर किसी प्रकार की जवाबदेही ना आये।
7. निम्नलिखित बिन्दु अनुशासन हीनता के श्रेणी में गिने जायेगे, तथा ऐसा किये जाने पर अभ्यार्थी की मान्यता रद्द की जा सकती है :–

   (i) जानबूझ कर असहयोग एवं अवज्ञा करने पर, चाहे व अकेले हो या किसी विशिष्ट के कानून आदेश पर हो।

   (ii) चोरी व धोखाधड़ी करते पाये जाने पर ।

   (iii) प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रवेश लेते समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दिये जाने पर।

(iv) किसी भी अधिकारी / कर्मचारी / कोच को डराये धमकाये जाने पर ।

(v) जुआं खेलने, मदिरा–पान करने, लड़ाई–झगड़ा करने अथवा असभ्य वर्ताव करने पर।

(vi) अकादमी की सम्पंति को जान बूझकर नुकसान पहुचाने पर।

(vii) उपरोक्त उल्लेखित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर ।

8. अभ्यार्थी का किसी भी प्रकार से जनता तथा मिडिया में अकादमी एवं उनके नियमों तथा परिचालन की अवहेलना / आलोचना नहीं करनी चाहिए।

9. प्रशिक्षणार्थी अकादमी की ओर से निर्देशित सभी आयोजनों में भाग लेने हेतु बाध्य होगा।

10. अकादमी में किसी भी प्रकार की अस्वस्थता अथवा चोट जिससे मृत्यु की संभावना भी हो, के लिए अकादमी जिम्मेदार नहीं होगा।

11. अभ्यार्थी के किसी भी सामान के गुम होने / नुकसान होने की जिम्मेदारी अकादमी की नहीं होगी।

12. यदि अभ्यार्थी बिना किसी आज्ञा / कारण के अकादमी छोड़ देता है, अथवा अन्य संस्था में प्रवेश लेता है, तो अकादमी द्वारा व्यय की गई सभी तरह की लागत अभ्यार्थी से वसूल की जावेगी।

13. लगातार खराब प्रदर्शन करने पर अभ्यार्थी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रशिक्षण मुक्त किया जा सकता है। परन्तु अनुशासन हीनता करने पर किसी भी वक्त निकाला जा सकता है।

प्रतिभू / जमानतदार के हस्ताक्षर ———————————— प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर

गवाह

1.

2.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.